न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन 273/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण ,– 1. खेराजरामं 2. प्रभुराम 3. हड़मानराम 4. दानाराम पि. रतनाराम 5. कलू देवी पुत्री रतनाराम 6. तीजो देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी ईसरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. दमाराम पुत्र रूपाराम (फौत) के का.मु. 1/1 भोमाराम 1/2 लिछमणाराम पि. दमाराम 1/3 ईसराराम पुत्र दमाराम (फौत) के का.मु. 1/3/1 हितेश पुत्र ईसराराम 1/3/2 नवनीत पुत्र ईसराराम 1/3/3 अचला पत्नी ईसराराम (विप्रार्थी सं. 1/3/1 व 1/3/2 नाबालिग कु. वली माता अचला) 2. पूराराम पुत्र रूपाराम 3. अणदू देवी पत्नी हनुमानराम 4. गेरो देवी पत्नी दानाराम 5. वीरा देवी पत्नी प्रभुराम 6. सोनी देवी पत्नी खेराजराम जाति जाट निवासी ईसरोल तह. चौहटन जिल बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा चौहटन 8. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन 9. तहसीलदार चौहटन

उपस्थित – प्रार्थी वकील – श्री प्रवीण कुमार चौधरी
विप्रार्थीगण – श्री पूराराम चौधरी, श्री जगदीश पोटलिया
राज पेरोकार उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.05.2026

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा ईशरोल में मूल खसरा संख्या 136 रकबा 97.10 बीघा से विभक्त वर्तमान खसरा संख्या 621/136 रकबा 5.3418 हैक्टेयर, खसरा संख्या 764/622 रकबा 8.9031 हैक्टेयर व खसरा संख्या 620/136 रकबा 1.4569 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 अपने विधिक हक हिस्सा अनुसार ढाणी, टांके, पशु बाड़े बने हुए है।

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है जो पूर्व में मूल खसरा संख्या 136 पर काबिज थे, जिसका बंटवाड़ा सहायक कलक्टर कोर्ट बाड़मेर राजस्व वाद संख्या 24/1996 अनवान् हरचंद बनाम रतनाराम व अन्य अंतिम डिक्री व निर्णय हो चुका है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दी गई जिससे प्रार्थीगण के खेत

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

। राजस्व रेकर्ड में खसरा तो पूर्ण अंकित कर दिया गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे की ड्राइंग छोटी अंकित कर दी गई। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नक्शा ट्रेस में कम अंकित तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से की गई। प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट व जवाब प्राप्त हुआ। विप्रार्थी सं. 1 से 6 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन का जवाब पेश नही कर तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट अनुसार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट जवाब का गहराई अवलोकन व अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में राजस्व ग्राम ईशरोल के खसरा संख्या 620/136, 621/136, 764/622 रकबा क्रमशः 01.4569, 5.3478, 8.9031 हैक्टेयर की मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड का मिलान करने पर परस्पर भिन्नता पाई गई। संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार तरमीम एवं संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई, जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा ईशरोल में मूल खसरा संख्या 136 रकबा 97.10 बीघा से विभक्त वर्तमान खसरा संख्या 621/136 रकबा 5.3418 हैक्टेयर, खसरा संख्या 764/622 रकबा 8.9031 हैक्टेयर व खसरा संख्या 620/136 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट. ''ब'' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन, बाड़मेर